राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....1847 / 2013 ....जिला.........जयपुर..

उनवान – जालान बैट्री हाउस, मुकुंदगढ हाउस, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंन, जोन–3, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.2017	**एकलपीठ कैम्प जयपुर** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त प्रशासन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अपील / प.4 / उपा. / प्रशा.–III / कर / 2011–12 / 678 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–3, जयपुर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 25, 61 एवं 55 के तहत पारित किया गया है। व्यवसाई की ओर से श्री रमेश चन्द गुप्ता एवं विभागीय पैरोकार श्री रामकरण सिंह उपस्थित। व्यवसाई वकील ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी 03.07.2011 को बीमार होने के कारण सशक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, और न ही कोई जवाब पेश कर सके। इस हेतु व्यवसाई वकील ने एक अवसर प्रदान करने का निवेदन किया। विभागीय पैरोकार ने इस पर कोई ऐतराज प्रकट नहीं किया है। उभयपक्षों की बहस पर विचार किया गया एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवसायी के बीमार होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ रहे। अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 05.09.2013 अपास्त किया किया जाता है। जब तक सशक्त अधिकारी नया आदेश पारित नही कर दे तब तक उनका पूर्व आदेश दिनांक 04.07.2011 प्रभावी रहेगा। प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि व्यवसाई को न्यायहित में सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार कर निर्धारण आदेश पारित करें। व्यवहारी को निर्देश दिये जाते है कि वह सशक्त अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.02.2017 को उपस्थित हो। निर्णय सुनाया गया । अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	